भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

RBA No. 11/2025

No. 2019/ ACII/9/13/e 3318722

New Delhi, dated: 02.04.2025

General Managers,
All Zonal Railways & PUs.

Sub: Misappropriation of Miscellaneous Railway receipts and action thereon- reg
Ref: Board's letter no. 2019/ ACII/9/13 dated 10.06.2020 (RBA No.52/2020), dated 31.07.2020 (RBA No.61/2020), dated 17.09.2020 (RBA No.74/2020), dated 29.10.2021 (RBA No.57/2021) and dated 08.04.2022(RBA No. 27/2022)

****

Recent instances of misappropriation and non-remittance of Miscellaneous Railway receipts have been brought to the notice of Board. The primary reasons for such misappropriation have been attributed to the following –

(i) receipt of these earnings through Cash/DD/cheque and their subsequent non-remittance/short remittance, which is easy to do when they are being done manually;
(ii) receipt of earnings for commercial contracts (license fee/electricity bill/water charges etc.) undertaken at stations neither being recorded in the Station balance sheet nor being monitored by the Divisional Office for realization;
(iii) cash collected at the station being misappropriated and non-confirmation of its deposit in the Railway account.

The ease of misappropriation has been facilitated by a situation wherein many Zonal Railways/ PUs have not processed the receipt of these payments through Miscellaneous E-Receipts System (MeRS), despite reminders being issued by Board to implement and fully utilize all the modules of MeRS (status of MeRS implementation is enclosed). The MeRS portal has been developed by CRIS to facilitate digital payments of receipts to Railways. The operational guidelines for use of MeRS has been issued vide Board's letters referred above.

In order to streamline the secure collection and remittance of railway receipts at various stations following action needs to be **swiftly** put in place:

I. A zero-based review needs to be done for the entry of all commercial assets on the e-auction portal. In this regard, the following data needs to be compiled:
   a. Identification of all commercial assets and whether they are being tendered through e-auction or not?

Roopa Srinivasan
2/4/2025

b. If the tendering is being done through e-auction, whether the entire contract lifecycle is being captured on IRePS i.e. award of contract, payment of license fee and termination of contract. In case where the payment is not getting reflected on the e-auction portal, whether action is being taken for termination of the contracts or not?

c. In case the award of contract is being done through modes other than e-auction, It must be entered on IREPS under the tab provided for entry of Manual Contracts. It will ensure list of all earning assets at one portal for better monitoring. Reports like (1) Contracts due to expire (2) Payment status can be seen under View all contracts.

d. what is the mode of receipt of payment and its accountal also needs to be checked by SrDCM and SrDFM regularly

e. Use of MeRS for collection of payment related to Miscellaneous receipts.

II. **The award of commercial contracts (except NINFRIS which can continue as per existing policy of 2018) must be done through e-auction only**. For ALL existing contracts (including NINFRIS) awarded through modes other than e-auction, besides their entry in the e-auction portal, receipt of earnings must be taken ONLY through digital mode (MeRS). Any exception to receive earnings from commercial contracts through cash/DD/Cheque etc. should be done **ONLY with the prior permission of** Sr.DCM (at Division) /Dy. CCM (at HQ). Suggestions, if any, for incorporating other kinds of receipts on MERS platform may be appraised to Board (JDF/CCA). Further, all earnings for these commercial contracts must be properly accounted for.

III. Since cash collection is being done through cash pick agencies, it is important to ensure at all times that the cash being picked up is secure and is ONLY being handled by the authorized personnel.

a. In this regard, for instituting protocols, a detailed JPO should be formulated between PFA and PCCMs for the cash collection at stations, its step-wise monitoring and monthly reconciliation.

b. Checks and balances, based on the relevant Codes and Manuals (Indian Railway Commercial Manual Vol I & II and Indian Railway Accounts Code Vol I& II), as appropriate for the local conditions of the Zonal Railways must be incorporated in the JPO to ensure proper remittance and accountal of earnings.

c. Scheduled checks must be instituted to ensure that all the protocols as envisaged in the cash pickup agreement are strictly adhered to.

d. Use of **e-TR (e-Treasury Remittance notes) ONLY** for remittance of cash into bank.

IV. A drive should be launched jointly by the offices of PCCMs and PFAs to review the commercial contracts/cash pickup arrangements to ensure that the earnings have been properly deposited in the railway account and the same have been accounted for.

V. The responsibility matrix for proper receipts, deposit and accountal of railway receipts along with the inspection and post audit must be clearly laid down by the Zonal Railways

Roopa Srinivasan
7/4/2025

with the approval of General Manager. PFAs and PCCMs should monitor its implementation from time to time.

To summarize, the following needs to be completed by each Zonal Railway, latest by 20th April 2025 –

(i) **Data compilation w.r.t the entry of commercial assets on e-auction** etc. as detailed at Para I ;

(ii) **Confirmation that all contracts must be awarded through e-auction only** as detailed at para II above;

(iii) **JPO for cash collection** between PCCMs and PFA as detailed in Para III above;

(iv) **Joint Drive to audit all commercial contract/cash pick up arrangements** as detailed at Para IV above;

(v) Building the **responsibility matrix** as detailed at Para V above.

A detailed compliance report to be submitted to EDTC(G) and EDF(C) by **25th April 2025**.

Roopa Srinivasan 2/4/2025
Ms. Roopa Srinivasan
Member Finance
Railway Board

2.4.2025
Shri Hitendra Malhotra
Member (O&BD)
Railway Board

Copy to

1. CRB&CEO: for information
2. MI, M/T&RS, DG/HR: for information and necessary action
3. PFAs and PCCMs –All Zonal Railways & PUs: For necessary action
4. MD/CRIS/Chanakyapuri, New Delhi : For necessary action

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

आरबीए सं. 11/2025

सं.2019/एसीIII/9/13/ई 3318722 नई दिल्ली, दिनांकः 02.04.2025

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।

<u>विषयः</u> विविध रेलवे प्राप्तियों के दुर्विनियोजन और उन पर कार्रवाई के संबंध में।

<u>संदर्भः</u> रेलवे बोर्ड का दिनांक 10.06.2020 का पत्र सं. 2019/एसीIII/9/13 (आरबीए सं. 52/2020), दिनांक 31.07.2020 (आरबीए सं. 61/2020), दिनांक 17.09.2020 (आरबीए सं. 74/2020), दिनांक 29.10.2021 (आरबीए सं. 57/2021) और दिनांक 08.04.2022 का (आरबीए सं. 27/2022)।

हाल ही में विविध रेलवे प्राप्तियों के दुर्विनियोजन और गैर-प्रेषण के संबंध में मामलों को रेलवे बोर्ड के संज्ञान में लाया गया है। ऐसे दुर्विनियोजन के लिए मुख्य कारण निम्नलिखित हैं -

(i) रोकड़/डिमांड ड्राफ्ट/चैक के माध्यम द्वारा इन आमदनियों की प्राप्ति और उन्हें बाद में न भेजना/कम भेजना, जिसे तब करना आसान होता है और जब ये हाथ द्वारा किया जा रहा हो;

(ii) वाणिज्यिक ठेके के लिए आमदनी की प्राप्ति (लाइसेंस फीस/बिजली बिल/पानी प्रभार इत्यादि) को न तो स्टेशनों पर स्टेशन तुलन-पत्र में दर्जा किया जा रहा है और न ही वसूली की मंडल कार्यालय द्वारा निगरानी की जा रही है;

(iii) स्टेशन पर एकत्रित रोकड़ का दुर्विनियोजन किया जा रहा है और रेलवे खाते में इसके जमा होने की पुष्टि नहीं की गई है।

दुर्विनियोजन के मामले ऐसी स्थिति में सहज हैं जिसमें रेलवे बोर्ड द्वारा मिसलेनिअस ई-रिसीट सिस्टम (MeRS) के सभी मॉड्यूल के पूर्ण उपयोग और कार्यान्वयन (मिसलेनिअस ई-रिसीट सिस्टम के कार्यान्वयन की स्थिति संलग्न है) के संबंध में कई अनुस्मारक जारी करने के बाद भी अधिकतर क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों द्वारा मिसलेनिअस ई-रिसीट सिस्टम (MeRS) के माध्यम से इन भुगतानों की प्राप्ति को संसाधित नहीं किया गया हो। क्रिस द्वारा रेलवे को प्राप्तियों के डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए मिसलेनिअस ई-रिसीट सिस्टम पोर्टल

विकसित किया गया है। मिसलेनिअस ई-रिसीट सिस्टम के उपयोग के लिए संचालित दिशानिर्देश बोर्ड के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा जारी किए गए हैं।

विभिन्न स्टेशनों पर रेलवे आमदनी के सुरक्षित रूप से एकत्रित करने और प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई शीघ्र करने की आवश्यकता हैः

I. ई-ऑक्शन पोर्टल पर सभी वाणिज्यक परिसंपत्तियों की प्रविष्टि के लिए शून्य आधारित समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में निम्नलिखित डाटा को संकलित करने की आवश्यकता हैः

क. सभी वाणिज्यिक परिसंपत्तियों की पहचान की पहचान और उन्हें ई-ऑक्शन पोर्टल का माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है या नहीं?

ख. यदि निविदा प्रक्रिया ई-ऑक्शन के माध्यम से की जा रही हो तो क्या या समग्र अनुबंध चक्र अर्थात ठेका देना, लाइसेंस फीस का भुगतान और ठेके को समाप्त करना आईआरईपीएस पर किया जा रहा है। ऐसे मामले जहां भुगतान ई-ऑक्शन पोर्टल पर प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है चाहे ठेके को समाप्त करने की कार्रवाई की जा रही हो या नहीं?

ग. यदि ठेके को ई-ऑक्शन के अलावा किसी अन्य विधि के माध्यम से दिया जा रहा है, आईआरईपीएस में इसकी प्रविष्टि मैनुअल अनुबंध की प्रविष्टि के लिए उपलब्ध कराए गए टैब के अंतर्गत की जानी चाहिए। यह बेहतर निगरानी के लिए एक पोर्टल में आमदनी वाली परिसंपत्तियों को एक पोर्टल में सूचीबद्ध किया जाना सुनिश्चित करेगा। (1) समाप्त होने के कारण ठेका (2) भुगतान स्थिति जैसी रिपोर्टें व्यू ऑल कांट्रेक्ट टैब के अंतर्गत देखी जा सकती है।

घ. भुगतान प्राप्ति की विधि क्या है और इसके लेखे-जोखे को भी वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक और वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक द्वारा जांचें जाने की आवश्यकता है।

ङ. विविध प्राप्तियों से संबंधित भुगतान को एकत्रित करने के लिए मिसलेनिअस ई-रिसीट सिस्टम का उपयोग।

II वाणिज्यिक अनुबंधों (एनआईएनएफआरआईएस को छोड़कर जो 2018 की मौजूदा नीति के अनुसार जारी रह सकते हैं) को केवल ई-ऑक्शन के माध्यम से दिया जाना चाहिए। ई-ऑक्शन के अलावा दिए गए सभी मौजूदा अनुबंध (एनआईएनएफआरआईएससहित) के लिए, उन्हें ई-ऑक्शन पोर्टल में दर्ज करने के अलावा, उनसे आमदनी की प्राप्ति केवल डिजिटल मोड (मिसलेनिअस ई-रिसीट सिस्टम) के माध्यम से की जानी चाहिए। रोकड़/डिमांड ड्राफ्ट/चैक आदि के माध्यम से वाणिज्यिक अनुबंधों से प्राप्त आमदनी को केवल किसी अपवाद के रूप में वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक की पूर्व अनुमति से (मंडल स्तर पर)/उप मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक (मुख्यालय स्तर पर) प्राप्त किया जाना चाहिए। अन्य प्रकार की प्राप्तियों को मिसलेनिअस ई-रिसीट सिस्टमप्लेटफॉर्म में शामिल करने के लिए सुझाव, यदि कोई हैं, तो

बोर्ड (संयुक्त निदेशक वित्त/सीसीए) को प्रस्तुत किए जाएं। इसके अलावा, इन वाणिज्यिक अनुबंधों से प्राप्त सभी आमदनी का उचित ढंग से लेखाबद्ध किया जाना चाहिए।

III. चूंकि रोकड़ संग्रहण कैश पिक एजेंसी द्वारा किया जा रहा है, यह हर बार सुनिश्चित करना आवश्यक है कि रोकड़ सुरक्षित ढंग से एकत्रित जा रहा है और प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा ही संभाला जा रहा है।

क. इस संबंध में, प्रोटोकॉल बनाने के लिए, स्टेशनों पर रोकड़ संग्रहण, इसकी क्रमिक निगरानी और मासिक समाधान के लिए प्रधान वित्त सलाहकार और प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों के बीच एक विस्तृत संयुक्त प्रक्रिया आदेश तैयार किया जाना चाहिए।

ख. आमदनी के उचित प्रेषण लेखांकन को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय रेलों की स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त, संबंधित संहिता और नियमावली (भारतीय रेल वाणिज्यिक नियमावली खंड I और खंड II और भारतीय रेल लेखा संहिता खंड I और खंड II) के आधार पर नियंत्रण एवं संतुलन को संयुक्त प्रक्रिया आदेश में शामिल किया जाना चाहिए।

ग. निर्धारत जांचें नियत की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कैश पिकअप के करार में सभी परिकल्पित प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन किया जाए।

घ. बैंक में रोकड़ प्रेषण के लिए केवल ई-टीआर (ई-ट्रेजरी रेमीटेन्स नोट) का उपयोग।

IV. प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक और प्रधान मुख्य सलाहकार के कार्यालयों द्वारा संयुक्त रूप एक अभियान शुरू किया जाना चाहिए ताकि वाणिज्यिक अनुबंधों/रोकड़ एकत्रित करने की व्यवस्था की समीक्षा की जा सके ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि आमदनी को रेल के खाते में सही तरीके से जमा किया गया है और उसका लेखा-जोखा रखा गया है।

V. क्षेत्रीय रेलों द्वारा महाप्रबंधक के अनुमोदन के साथ लेखापरीक्षा सहित उचित प्राप्तियां, जमा और रेल की प्राप्तियों के लेखांकन हेतु उत्तरदायित्व मैट्रिक्स स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जाने चाहिए। प्रधान वित्त सलाहकार और प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक को समय-समय पर इसके कार्यान्वयन की निगरानी करनी चाहिए।

संक्षेप में, प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे द्वारा 20 अप्रैल 2025 तक निम्नलिखित को पूरा किया जाए -

(i) ई-ऑक्शन पर वाणिज्यिक परिसंपत्तियों की प्रविष्टि के सबंध में डाटा संकलित करना इत्यादि जैसा कि पैरा I में विवरण दिया गया है।

(ii) इस बात की पुष्टि की जानी चाहिए कि सभी अनुबंध ई-ऑक्शन के माध्यम से ही दिए जाएं जैसा कि उपर्युक्त पैरा II में ब्यौरा दिया गया है।

(iii) प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक और प्रधान वित्त सलाहकार के बीच रोकड़ एकत्रित करने के लिए संयुक्त प्रक्रिया आदेश जैसा कि उपर्युक्त पैरा III उल्लेख किया गया है।

(iv) सभी वाणिज्यक अनुबंधों/रोकड़ एकत्रित करने की व्यवस्था की लेखापरीक्षा के लिए संयुक्त अभियान जैसा कि उपर्युक्त पैरा IV में उल्लेख किया गया है।

(v) उपर्युक्त पैरा V में विस्तृत रूप से उत्तरदायित्व मैट्रिक्स का निर्माण करना।

विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट कार्यपालक निदेशक यातायात वाणिज्य (सामान्य) और कार्यपालक निदेशक वित्त (सी) को 25 अप्रैल 2025 तक प्रस्तुत की जाए।

ह॰ ह॰

सुश्री रूपा श्रीनिवासन
सदस्य वित्त
रेलवे बोर्ड

श्री हितेन्द्र मल्होत्रा
सदस्य (परिचालन एवं व्यवसाय विकास)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित

1. अध्यक्ष एवं मुख्य कार्याकारी अधिकारी, रेलवे बोर्डः सूचनार्थ
2. सदस्य/अवसंरचना, सदस्य/कर्षण एवं चल स्टॉक, महानिदेशक/मानव संसाधनः सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
3. प्रधान वित्त सलाहकार और प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक- सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित
4. महाप्रबंधक/क्रिस/चाणक्यपुरी, नई दिल्लीः आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।